



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 07.03.2025

1. थाना सेक्टर-58 पुलिस द्वारा ब्लूटूथ डिवाइस तथा इलेक्ट्रानिक डिवाइस की मदद से अवैध तरीके से प्रश्न हल करने वाले अभियुक्त व परीक्षा में सहयोग करने वाले ब्रीक्स कम्पनी के कर्मचारी सहित दो अभियुक्त गिरफ्तार

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 07.03.2025 को थाना सेक्टर-58 पुलिस द्वारा आरपीएफ कान्सटेबल की लिखित परीक्षा केन्द्र आईओन डिजिटल जोन सैक्टर-62 नोएडा से ब्लूटूथ डिवाइस तथा इलेक्ट्रानिक डिवाइस की मदद से अवैध तरीके से प्रश्न हल करने वाले अभियुक्त आजाद पुत्र मुशरफ व उक्त परीक्षा में सहयोग करने वाले ब्रीक्स कम्पनी के कर्मचारी अर्जुन डागर पुत्र राजकिशोर को सेक्टर-62 नोएडा से **गिरफ्तार** किया गया है, कब्जे से घटना में प्रयुक्त ब्लूटूथ डिवाइस तथा इलेक्ट्रानिक डिवाइस बरामद।

घटना का विवरण-- दिनांक 02.03.2025 से दिनांक 18.03.2025 तक आईडीजेड-2 सैक्टर-62 नोएडा में आरपीएफ कान्सटेबल की लिखित परीक्षा नियोजित है। दिनांक 07.03.2025 को उक्त सेन्टर पर आरपीएफ कान्सटेबल की लिखित परीक्षा हो रही थी, दौरान परीक्षा परीक्षार्थी आजाद फ्लोर 5 लैब नं0 ए-5 में परीक्षा दे रहा था। आजाद अपनी बेंच के नीचे एक छोटा सा इलेक्ट्रानिक डिवाइस लगाकर सेटप लगाकर अपने कान में एक ब्लूटूथ डिवाइस लगाकर अन्य व्यक्ति से बातचीत कर प्रश्न पत्र के उत्तर हल कर रहा था, जिसको कक्ष निरीक्षक छत्रपाल जी के द्वारा पकड़ा गया एवं सेन्टर के स्टाफ वी0के0 शर्मा व आदित्य चौधरी व आशीष रस्तोगी को मौके पर बुलाकर तलाशी ली गयी तो परीक्षार्थी आजाद के कान में लगी डिवाइस व बेंच के नीचे लगे इलेक्ट्रानिक डिवाइस को कब्जे में लेकर परीक्षार्थी आजाद से पूछताछ की गयी तो परीक्षार्थी आजाद ने बताया कि मेरे भाई असलम ने राहुल निवासी मवाना मेरठ व पंकज निवासी हासमपुर मुजफ्फरनगर से आरपीएफ कान्सटेबल की लिखित परीक्षा में पास कराने हेतु पंकज व राहुल से बात की तो पंकज व राहुल ने कहा कि मेरी सुमित पुत्र खासे निवासी गांव नगला बडी थाना खेकडा जिला बागपत से बात है क्योंकि उसके गांव का अर्जुन डागर पुत्र राजकिशोर आईडीजेड-2 सैक्टर-62 नोएडा में काम करता है वो पैसे लेकर नकल कराने में मदद कर देगा, बात 04 लाख रुपये में तय हो गयी और मेरे भाई द्वारा पंकज व राहुल को 50,000 रुपये एडवांस में दे दिये। सेन्टर में अन्दर जाने पर पूर्व में की गयी बात के अनुसार 7वीं फ्लोर के ए-7 लैब के बाथरूम में यह ब्लूटूथ व इलेक्ट्रानिक डिवाइस ब्रीक्स कम्पनी के कर्मचारी अर्जुन डागर द्वारा उपलब्ध करायी गयी है, प्रश्नों के उत्तर कौन दे रहा था इसकी जानकारी की तो बताया कि मुझे नहीं पता कि कौन जवाब दे रहा था। अन्य आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी का विवरण--

ब्लूटूथ डिवाईस तथा इलेक्ट्रॉनिक डिवाईस

अभियुक्तों का विवरण:--

1. आजाद पुत्र मुशर्रफ निवासी ग्राम तुलहेडी थाना मीरापुर पोस्ट आफिस धताया उत्तरी जिला मुजफ्फर नगर
2. अर्जुन डागर पुत्र राजकिशोर आईडीजेड-2, सेक्टर-62, नोएडा

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0-105/20234 धारा 318(4), 61(2) बीएनएस 3/9 उ0प्र0 परीक्षा अधि0 थाना सेक्टर-58 जिला गौतमबुद्धनगर

2. थाना सेक्टर-63 नोएडा पुलिस द्वारा एटीएम पर पैसे निकालने के लिए आने वाले ग्राहकों के एटीएम कार्ड बदलकर धोखाधड़ी से उनके खाते से पैसे निकालने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 12 एटीएम कार्ड (भिन्न-भिन्न बैंक), धोखाधड़ी कर निकाले गये 1000/रूपये नगद एवं घटना में प्रयुक्त 01स्कूटी बरामदा

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 07.03.2025 को थाना सेक्टर- 63 नोएडा पुलिस टीम द्वारा लोकल इंटेलीजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुये एटीएम पर आये ग्राहको के एटीएम कार्ड बदलकर धोखाधड़ी करके पैसे निकालने वाले 02 अभियुक्तो 1-प्रशान्त उर्फ पुच्ची उर्फ राहुल पुत्र सुनील सिंह 2-सचिन पाल पुत्र कमलेश पाल को एफएनजी रोड पर स्थित एचडीएफसी बैंक के एटीएम से गिरफ्तार किया गया है। कब्जे से 12 एटीएम कार्ड (भिन्न-भिन्न बैंक), धोखाधड़ी कर निकाले गये 1000/रूपये नगद एवं घटना में प्रयुक्त 01 स्कूटी बरामदा।

अपराध का तरीका-- गिरफ्तार अभियुक्त भिन्न-भिन्न बैंकों के एटीएम बूथ पर जाकर भोले-भाले लोगो की पैसे निकालने में मदद के बहाने उनका पासवर्ड देख लेते थे और फिर धोखे से एटीएम कार्ड बदल लेते थे। एटीएम कार्ड बदलने के बाद अभियुक्तगण उस एटीएम बूथ को छोड़कर किसी अन्य एटीएम बूथ पर जाकर कार्ड से पैसे निकाल लेते थे। बरामद 1000 रुपये भी अभियुक्तों द्वारा पूर्व मे एटीएम कार्ड बदलकर निकाला जाना बताया है।

अभियुक्तों का विवरण--

- 1- प्रशान्त उर्फ पुच्ची उर्फ राहुल पुत्र सुनील सिंह निवासी कमला हाल थाना विजयनगर, जिला गाजियाबाद (उम्र 21 वर्ष)
- 2- सचिन पाल पुत्र कमलेश पाल निवासी श्रमिक कुन्ज मामूरा थाना फेस-3 (उम्र 21 वर्ष)

बरामदगी का विवरण--

1. 12 ए0टी0एम0 कार्ड
2. 1000 रुपये
3. घटना में प्रयुक्त 01 स्कूटी यूपी (यूपी 16 ईए 8310)

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण--

● अभियुक्त प्रशान्त उर्फ पुच्ची उर्फ राहुल उपरोक्त

1. मु0अ0सं0 109/25 धारा 318(4)/303(2) थाना सेक्टर-63, नोएडा
2. मु0अ0सं0 109/2023 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 थाना ऐक्सप्रेस-वे नोएडा
3. मु0अ0सं0 19/2024 धारा 318(4)/336/338/340 बीएनएस व 66 डी आई.टी एक्ट थाना साईबर क्राईम पुलिस थाना हापुड़ जिला हापुड़

● अभियुक्त सचिन पाल

1. मु0अ0सं0 109/25 धारा 318(4)/303(2) थाना सेक्टर- 63, नोएडा

1.थाना फेस-3 पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 07.03.2025 को थाना फेस-3 पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुये मु0अ0सं0 103/2025 धारा 64(1)बीएनएस के अंतर्गत दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त आयुष पुत्र सुनील पाण्डेय उम्र 25 वर्ष को पर्थला ब्रिज के पास सर्विस रोड से गिरफ्तार किया गया है।

घटना का विवरण-- अभियुक्त द्वारा दिनांक 05.03.2025 को वादिया/पीडिता को नौकरी दिलाने का झांसा देकर अपने कमरे पर ले जाकर वादिया के साथ दुष्कर्म की घटना कारित की गयी थी।

अभियुक्त का विवरण--

आयुष पुत्र सुनील पाण्डेय निवासी ग्राम खोजापुर थाना सिकन्दरा जिला कानपुर देहात वर्तमान पता गली नं0 5 गढी चौखण्डी थाना फेस 3 नोएडा उम्र लगभग 25 वर्ष

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0 103/2025 धारा 64(1)बीएनएस थाना फेस-3 सेन्ट्रल नोएडा कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।